(201) 308

न्यायायल श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर,

खण्ड पीठ रीवा (म0प्र0)

R. 2537-II/14

बृजेश प्रसाद ब्राम्हाण तनय गणेश प्रसाद, उम्र 28 वर्ष,

निवासी ग्राम सुमेदाकला,तहसील मऊगंज,जिला–रीवा(म.प्र.)

अनुराग द्विवेदी ..एड द्वारा आज दिनांक 07.07.14 के प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

------आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

शासन मध्यप्रदेश -----अनावेदक/गैरपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, सीधी जिला सीधी मध्यप्रदेश के राजस्व प्रकरण क्र. 417निगरानी /11-12 मे पारित आदेश दिनांक 23.04.2014

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता ।

मान्यवर,

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य

यह कि ग्राम परासिली, तहसील मझौली की शासकीय भूमि आराज खसरा क्रमांक 207 का जुज रकवा 2.023हेक्टेयर का व्यवस्थापन म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग किया जा रही रखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984 के आधीन आवेदक द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार मझौली के न्यायालय मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जहॉ पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(201)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–2537-II / 14** जिला–सीधी

बृजेश प्रसाद / शासन म0प्र0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनुराग द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 417 / निग0 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 23.04.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	